लक्ष्य 8 सभी के लिए सतत समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना

2030 तक	
8.1	राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि दर और विशेष कर अल्प विकसित देशों में प्रति वर्ष कम से कम 7 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बनाए रखना।
8.2	उच्च मूल्यवर्धन और श्रम बहुल क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने सहित विविधीकरण एवं औद्योगिकीय उन्नयन और नवोन्मेष के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता के उच्च स्तरों को हासिल करना।
8.3	उत्पादक कार्यकलापों, उचित रोजगार सृजन, उद्यमिता, सर्जनात्मकता, और नवोन्मेष का समर्थन करने वाली विकासोन्मुखी नीतयों को बढ़ावा देना और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम को निश्चित रूप देना और इनके विकास को प्रोत्साहित करना।
8.4	विकसित देशों की पहल के साथ, संधारणीय उपभोग और उत्पादन, संबंधी कार्यक्रमों की 10 वर्षीय रूपरेखा के अनुसार, आर्थिक विकास को पर्यावरणीय अवक्रमण से अलग करने का प्रयास करना तथा संसाधनों के उपभोग और उत्पादन में वैश्विक कुशलता में क्रमिक सुधार लानां
8.5	युवाओं एवं निःशक्त व्यक्तियों को पूर्ण और लाभकारी रोजगार उचित कार्य के समान मूल्य के कार्य के लिए समान भुगतान सुनिश्चित करना।
8.6	2020 तक रोजगार, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को पर्याप्त रूप से कम करना।
8.7	बेगार का उन्मूलन करने और सबसे खराब प्रकार का बाल श्रम का निषेध और उन्मूलन सुनिश्चत करने के लिए तात्कालिक और कारगर उपाय करना और 2025 तक बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित सभी प्रकार के बाल श्रम का अंत करना।
8.8	प्रवासी कामगारों और विशेष रूप से महिला प्रवासी कामगारों तथा अनिश्चित रोजगारों में कार्यरत कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सुरक्षित कार्य परिवेश को बढ़ावा देना और श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना।
8.9	रोजगारोंका सृजन करने वाले तथा स्थानीय संस्कृति एवं उत्पादों को बढ़ावाा देने वाले संघारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने की नीतियां तैयार करना और उन्हें बढ़ावा देना।
8.10	सभी के लिए बैंकिग, बीमा और वित्तीय पहुंच को प्रोत्साहित एवं विस्तारित करने हेतु घरेलू वित्तीय संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना।
8.क	विकासशील देशों विशेष कर अल्प विकसित देशों के लिए व्यापार समर्थन हेतु सहायता में वृद्धि करना जिसमें अल्प विकसित देशों के लिए व्यापार संबंधी सहायता हेतु वर्धित एकीकृत फ्रेमवर्क के माध्यम से सहायता भी शामिल है।
8.ख	2020 तक युवाओं के नियोजन के लिए वैश्विक कार्य नीति तैयार करना और उसे लागू करना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैश्विक रोजगार समझौते को कार्यान्वित करना।

8

सभी के लिए सतत समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)	संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. राष्ट्रीय सेवा योज (NSS) 2. कौशल विकास मिशन 3. असंगठित कामगार के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (Core)	1. दीन दयाल उपाध्याय अन्तोदया योजना 2. राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन	लक्ष्य 8.1	श्रम एवं रोजगार, वित्तीय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 8.2	श्रम एवं रोजगार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, माईक्रो मंत्रालय, लघु एवं मध्यम उद्यमिता एवं विज्ञान तथा तकनीक
		लक्ष्य 8.3	श्रम एवं रोंजगार, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 8.4	पर्यावरण मंत्रालय, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन
		लक्ष्य 8.5	श्रम एवं रोजगार, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय मामले, युवा मामले एवं स्पोर्ट, सामाजिक न्याय
		लक्ष्य 8.6	श्रम एवं रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमिता, युवा अफेयर्स एवं स्पोर्ट, ट्राईबल अफेयर,
		लक्ष्य 8.7	श्रम एवं रोजगार, महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 8.8	श्रम एवं रोजगार
		लक्ष्य 8.9	टूरिज्म, टेक्सटाईल
		लक्ष्य 8.10	फाईनेंस
		लक्ष्य 8.क	कॉमर्स
		लक्ष्य 8.ख	श्रम एवं रोजगार, यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट

Source: http://niti.gov.in/writereaddata/files/Mapping-SDGs%20V19-Ministries%20Feedback%20060416_0.pdf

खामियां और चुनौतियां

- वर्ष 1990 मेंजीडीपीवृद्धि 5.5 प्रतिशतरहीऔरइसऔसतकोआगे रखने के लिए आयात,निर्यात एवं घरेलूआर्थिकगतिविधियोंको बढ़ायागयाऔरइसकापरिणाम यह हुआकिश्रमिकों की संख्या बढ़ गईकिन्तुश्रमिकवर्गकापारिश्रमिक कम होगयाऔरव्यवसायीवर्ग की आय बढ़ गई।
- जीडीपी दर जो 1991 में 5.6 प्रतिशत थी वही 1997 में घट कर 3.1 प्रतिशत रह गई। टैक्स–जीडीपी वर्ष 1991–92 में जो 10.3 प्रतिशत थी वह वर्ष 2000–01 में 8.1 प्रतिशत रह गई। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की टैक्स दर कम हो गई। (मोहन, 2008)। इसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक एवं कृषि क्षेत्र में जन व्यय कम हो गया और इससे गरीबों और हाशिए के समुदाय की आजीविका खतरे में पड़ गई। इस तरह का ट्रेंड 21वीं सदी में और बढ़ गया है। वर्ष 2008 में यह वृद्धि 9 प्रतिशत हो गई जबकि यह वित्तीय मंदी का दौर था।
- इसी निरन्तरता में जन निवेश वर्ष 2007–08 में 33.7 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया किन्तु निजी एवं विदेशी निवेश के बुरी तरह प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि कम हुई। (अहलूवालिया, 2013)
- बड़े घोटालों से भी निवेश की समस्या हुई। जीडीपी 1995–96 में काले धन के बड़े पैमाने पर होने के कारण 40 प्रतिशत हुई (कुमार, 2002) और निश्चित रूप से 50 प्रतिशत पर बन्द हुई साथ ही कच्चे तेल की भारी उछाल के कारण मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गई। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुद्रा नीति को सख्त करना पडा. जिससे आगे की अर्थव्यवस्था की उच्च ब्याज दर की संभावना कम हो गई।
- यह प्रावधान है कि अनुसूचित बैंक अपने क्रेडिट का 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रों को दें ये हैं छोटे और हाशिए के किसान, लघु व्यवसाय और श्रमिक जो कि भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में वित्त की कमी है क्रेडिट सिस्टम की स्थिति सही नहीं है और इसलिए इस पर निगरानी नहीं रखी जाती। इसी कारण 90 प्रतिशत छोटे व्यवसाय औपचारिक वित्तीय संस्थानों से लिंक नहीं रखते और 60 प्रतिशत आबादी के बैंक खाते नहीं होते। (आरबीआई, 2013)
- लगभग 18000 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ब्रांच हैं जो 6 लाख गांव तक पहुंच रखती हैं फिर भी सिर्फ 20 प्रतिशत किसानो की ऋण संस्थानों तक पहुंच है। (भारत सरकार, 2010)।
- भारत में सूक्ष्म–वित्तीय क्षेत्र(सेक्टर) बहुत मजबूत है। इनफॉरमल क्रेडिट मार्केट में इनका वर्चस्व है। इसमें नियामन की कमी है इसका लाभ लेते हुए सूक्ष्म–वित्तीय क्षेत्र आर्थिक समावेश को बढ़ा नहीं पाता।
- वित्तीय समावेश की मांग पर जब विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने कुछ नहीं किया और कारपोरेट तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं ने लगातार लापरवाही दिखाई तो ब्रिक्स देशों ने स्वयं एक विकास बैंक की स्थापना की और टैक्स फ्री आश्रय के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। जिसने कर व्यवस्था को प्रोत्साहित किया राजस्व को गंभीरता से लिया जहां कारपोरेशन अपनी आर्थिक गतिविधियां करे उन देशों में टैक्स जमा होना चाहिए। (BRICS, 2015b).

सुझाओ

1. सूचना एवं तकनीकीय समुदाय की सहभागिता से शहर एवं गांव में जलापूर्ति एवं स्वच्छता का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए।

2. निगम, कमर्शियल स्थापनाएं और सरकारी संस्थान उपभोक्ताओं से उगाही एवं कीमत वसूली के लिए एवं प्रबंधन के लिए तथा अपशिष्ट जल का उपयोग भूमि के लिए सुनिश्चित करने का कार्य करें। यह पंचायतों एवं म्युनिसिपालिटी के लिए निशुल्क होगा और गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लिए पानी और स्वच्छता रियायत दर पर दी जाए।

3. जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में राष्ट्रीय एवं राज्य वित्त आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अनुदान दें।

4. केन्द्रीय भूजल बोर्ड(सीजीडब्ल्यूबी, 2010) द्वारा कृत्रिम रिचार्ज का मास्टर प्लान तैयार किया है उसे अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए जिससे कि देश में जल उपलब्धता को सुधारा जा सके। यह सूचना एवं तकनीकीय रूप से समुदाय की सहभागिता से किया जाए।

5. आजकल जलप्रदूषण पर्याप्त मात्रा में है ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण करने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण में न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

6. मैला ढोने, सीवर सफाई आदि कार्य गुलामी के प्रतीक हैं जिसमें सफाई कर्मचारियों को गंदगी में जबरन उतारा जाता है। यह सफाई मशीनों द्वारा की जानी चाहिए साथ ही सेनीटेशन स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जाए अन्य विकल्पों के लिए। सफाई कर्मचारी को इससे राहत दी जाए और इसका पुनर्वास किया जाए। यह सुनिश्चत किया जाए कि मानव अधिकारा उल्लंघन के इस कार्य में कोई इन्सान शामिल न हो। सफाई कार्यक्रमों में लगे सभी लोग अनुसूचित जाति से होते हैं उनके जीवन को किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं खतरे से बचाया जाए। वे और उनका परिवार शिक्षा के माधयम से दूसरे प्रतिष्ठित पेशों की ओर मोड कर भेदभाव और इस सामाजिक कलंक को मिटाया जाए।